www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 29.05.2017

सीबीआई ने वरिष्ठ पत्रकार श्री राजदेव रंजन की कथित हत्या से सम्बन्धित मामले में पूर्व संसद सदस्य को पुलिस हिरासत में लिया

सीबीआई ने वरिष्ठ पत्रकार श्री राजदेव रंजन की कथित हत्या से सम्बन्धित मामले में पूर्व संसद सदस्य एवं सिवान (बिहार) के निवासी को आज पुलिस हिरासत में लिया।

सीबीआई ने बिहार सरकार के अनुरोध एवं इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर दिनांक 15.09.2016 को मामला दर्ज किया एवं पूर्व में, अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/ 120-बी/ 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सिवान (बिहार) पुलिस स्टेशन में दिनांक 13.05.2016 को दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या 362/ 2016 की जॉच को अपने हाथों में लिया। एफ.आई.आर. में ऐसा आरोप था कि दिनांक 13.05.2016 की शाम को श्री राजदेव रंजन (मृतक) को एक फोन आया एवं इसके पश्चात, वह हिन्दुस्तान समाचार के कार्यालय से निकल गए व स्टेशन रोड की तरफ गए। ऐसा आगे आरोप है कि शाम लगभग 7.30 बजे, जब वह स्टेशन के नजदीक फल बाजार पहुँचे तो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोका और उन्हे जान से मार दिया। बिहार पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 20.08.2016 को छ: आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

जॉच के दौरान, सीबीआई ने पूर्व में तीन आरोपी व्यक्तियों को इस घटना में उनकी संलिप्तता के सन्दर्भ में पुलिस हिरासत में लिया।

जॉच के पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत एक आरोपी के विरूद्ध दिनांक 23.12.2016 को आरोप पत्र दायर किया और इसके अतिरिक्त जॉच को जारी रखा।

जॉच के दौरान, कुछ मौखिक, दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य प्रमाण सामने आए। जॉच के दौरान सामने आयी परिस्थितयों के आलोक में, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मुज़फ्फरपुर (बिहार) ने सिवान (बिहार) के निवासी उक्त आरोपी को 08 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। उक्त गिरफ्तार आरोपी की मृतक राजदेव रंजन की कथित हत्या के षड़यंत्र में भूमिका की जॉच की जा रही है।

इस मामले में आगे की जॉच जारी है।

****